



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1712/JH/43/2023-RO-RNC

दिनांक: 21.08.2024

सेवा में,

श्रीमति उषा किरण केरकेट्टा,
ग्राम- महुँवा टोली, वार्ड सदस्य-10,
पो०- ईटकी, प्रखंड-ईटकी,
जिला-राँची-835301,
झारखंड

विषय: पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र और 1932 खतियानी रैयत ग्राम महुँवा टोली के आदिवासी को रास्ता देने एवं रैयत जमीन वापसी के संबंध में श्रीमती उषा किरण केरकेट्टा एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम- महुँवा टोली, वार्ड सदस्य-10, पो०- ईटकी, प्रखंड-ईटकी, जिला-राँची-835301, झारखंड का दिनांक 16.05.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 27.08.2024 को पूर्वाह्न 09:30 बजे, राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, राँची, झारखंड में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदय (अ. ला.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।